न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 82 / 2022(2022 / 291)

1. दयाराम मीणा पुत्र श्री किशन गोपाल मीणा निवासी डोला का ओपडिया कल्सुरिया तहसील बूंदी जिला बून्दी।

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. मुन्नी देवी पत्नि हरनाथ जाति गुर्जर निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. हरनाथ पुत्र श्री बरदा जाति गुर्जर निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
3. रामप्यारी पत्नि भरत जाति मीना निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
4. अशोक पुत्र श्री भरतराज जाति मीना निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
5. हीरा लाल पुत्र श्री भागूराम जाति मीना निवासी सापुन्दा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
6. पद्म पुत्र श्री पदम चन्द मित्तल जाति जैन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री चेतन धाबाई।
अप्रार्थी वकीलः— श्री कालूराम गुर्जर।
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2072—76** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
508—441	940	0.06	बारानी 1
265—239	1624 / 939	0.32	बारानी 1
507—441	1606 / 939	0.60	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थि की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थि ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थि ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थि की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 पडौसी है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थि की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है प्रार्थि के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थि को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 7 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 7 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1,2,5,6 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहते। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रा0 पत्र में अंकित भूमि खातेदार के दर्ज है राजहित प्रभावित नही है 1624/939 एवं 1606/939 पर सिविल न्यायालय केकडी का स्थगन प्रभावी है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वह मे बताया कि उक्त सरकार जवाब में खसरा संख्या 1624/939 व 1606/939 पर सिविल न्यायालय केकडी का स्थगन आदेश होना बताया उक्त स्थगन नोट के सन्दर्भ में अधिवक्ता ने सिविल न्यायालय का वाद पत्र व आदेशिका सत्यापित पत्रावली पेश कर बताया कि उक्त जमाबंदी में स्थगन नोट संहवन से लगा हुआ है ऐसा कोई स्थगन उक्त खसरो पर नही है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम नायकी तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 508–441 के खसरा संख्या 940 रकबा 0.06हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 265–239 खसरा संख्या 1624/939 रकबा 0.32हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 507–441 खसरा संख्या 1606/939 रकबा 0.60हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner